प्रकाश बनाम हरियाणा का राज्य

(मेहतब एस. गिल, न्यायाधीश)

पहले न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और ए. एन. जिंदल, न्यायाधीश

प्रकाश, — अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा का राज्य, — *उत्तरदाता*

आपराधिक अपील सं. 2006 का 248 / खण्ड न्यायपीठ

17 सितंबर, 2007

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 302 — हत्या — मामला का पंजीकरण अपीलकर्ता सहित तीन के खिलाफ — अन्य 2 आरोपी बरी किए गए — अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई — गवाहों के बयान विरोधाभास — पुलिस रजिस्टर की प्रविष्टियाँ अपीलकर्ता को अपराध के कृत्य के दिन जेल में दिखाते हुए — अभियोग पक्ष का कहना है कि अपीलकर्ता अपराध स्थल पर मौजूद था — इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता षड्यंत्र का एक हिस्सा हो सकता है — अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल — अपील की अनुमति, अपीलकर्ता उसके खिलाफ लगाए आरोपो में बरी।

यह आयोजित किया गया कि प्रतिरक्षा का साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपराध के कृत्य के दिन, अपीलकर्ता उप-जेल, देवबंद जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में बंद था, . अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता की ओर से साजिश रची जाने का मामला नहीं बनाया है, लेकिन इसका मामला बनाया है कि वह अपराध स्थल पर उपस्थित था और अपराध के कृत्य में भी शामिल था। अभियोजन पक्ष द्वारा निर्मित चश्मदीद गवाह ने कहा है कि अपीलकर्ता अपराध स्थल पर 19 वीं मार्च, 2000 को मौजूद था। इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अजीत को खत्म करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। न अभियोजन पक्ष ने इस बात को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया, न ही उन्होंने साजिश के इस दृष्टिकोण को बाहर लाने के लिए अदालत के सामने कोई सबूत प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। अपीलकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करा गया।

(उपधारा २२ और २४)

आर. एस. राय, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हेमंत बस्सी, *अपीलकर्ता* के लिए अधिवक्ता,

कुलवीर नरवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा.

मेहताब एस. **गिल, न्यायाधीश**

(1) यह 20 फरवरी, 2006 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानिपट के फैसले के खिलाफ अपील है, जिसके तहत उन्होंने प्रकाश, उजाला सिंह बे बेटे को धारा 302, भरतिया दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया और उसे

आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ५००० रूपिया का जुर्माना भी लगाया गया जिसके भुगतान में चूक के मामले में एक साल की कठोर कारावास भी गुज़रना। पार्कश शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत भी दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास आर की सजा सुनाई गई। दोनों सज़ाओं को समवर्ती चलाने का आदेश दिया गया था.

(2) विचारण न्यायालय ने रमेश *उपनाम* दुर्जन, प्रताप के बेटे को और सुरिंदर *उपनाम* काला, शेओ राम के पुत्र, जिसे प्रकाश, उजाला सिंह के बेटे के साथ, आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उन्हें बरी कर दिया।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला प्रदर्शनी पी एन करण सिंह का बयान जो जटाल रोड पर पुल पुरानी, पानीपत पुलिस उप निरीक्षक ज़िले सिंह को दिया गया, उस से सामने आया।

(4) करण सिंह ने कहा कि अजीत सिंह जो धरम पाल के पुत्र है, उसके असली चाचा का बेटा है। अजीत सिंह ने जट्टल रोड पर पुक्का नहर के पास एक कुश्ती खेल मैदान बनाया था। कुश्ती खेलने के मैदान का नाम अजीत पहलवान था। 18 मार्च, 2000 की शाम को करण सिंह और उनके असली चाचा प्रेम सिंह अजीत के घर गए और रात में उनके साथ रहे। 19 मार्च, 2000 को सुबह, अजीत उन्हें कुश्ती खेल मैदान दिखाने के लिए साथ ले गया। लगभग 7.45 बजे, सुरिंदर *उपनाम* काला, दुर्जन, प्रताप का बेटा और प्रकाश, उजाला का बेटा मोटरसाइकिल पर वहां आए। समर्पण और दुर्जन ने अजित को पकड़ लिया और प्रकाश ने पिस्तौल से गोली चलाई, जिसने अजीत को दाहिने कान के पास मारा। इसके बाद, वे सभी मोटरसाइकिल पर भाग गए। इससे पहले, अजीत और पार्काश के बीच झगड़ा हुआ था. दोनों पक्षों पर मामले दर्ज किए गए थे, जो अभी भी लंबित थे.

(5) इस कथन के आधार पर, एफआईआर प्रदर्शनी पीएन / 19 मार्च, 2000 को दोपहर 12.30 बजे पंजीकृत की गय। विशेष रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट, पानीपत के पास उसी दिन 3.30 बजे पहुँची।

(6) अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष गवाह बॉक्स में चतर सिंह (सेवानिवृत्त) MHC PW1, राजेश कुमार, PW2, डॉ. एस. एस कालरा, PW3 मदन लाल सेठी PW4, सतीश कुमार PW5, लाल चंद, PW6, कांस्टेबल सत नारायण, PW7, पृथ्वी राज, ASI, PW8, प्रेम, PW9 करण सिंह, PW10, HC राम PW11, कांस्टेबल धरमबीर PW12, इंस्पेक्टर काली राम संधू, PW13 राम कुमार, PW14

दलबीर सिंह, PW15, ज़िला सिंह, PW16, ASI, राम फाल, PW17, राजेश कुमार SI. PW18, DSP विनोद कुमार, PW19, HC राम कुमार, PW20 और कांस्टेबल राज पाल सिंह, PW2 1 लायी।

(7) अपीलकर्ता प्रकाश की अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए मनोज कुमार, जेल वार्डर DW1, जैदरथ क्रिमिनल अहलमद की जांच की DW2, राम सिंह, डिप्टी जेलर DW3, कांस्टेबल यांगपाल DW4 और SI सत्तार सिंह DW5 अन्य गवाहों की जाँच की गयी।

(8) राज्य ने रमेश *उपनाम* दुर्जन और सुरिंदर *उपनाम* काला के बरी होने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। अब हम केवल प्रकाश, उजाला सिंह के बेटे की अपील के साथ बचे हैं।

(9) अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है, कि लाल चंद, PW6, प्रेम PW9 और करण सिंह PW 10, घटना स्थल के चश्मदीद गवाहों के बयानों को पढ़ने के बाद यह पता लगा है कि, भौतिक विरोधाभासों और सुधार पाया जा सकता है। लाल चंद PW6 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया और शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और शत्रुतापूर्ण घोषित होने के बाद, इस गवाह के बयान से अपीलकर्ता प्रकाश के अपराध को इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। प्रेम PW9 ने अपने परीक्षा-प्रमुख में कहा है कि हमलावरों की संख्या संख्या 5/6 थी। प्रकाश, दुर्जन और सुरिंदर *उपनाम* काला ने मृतक अजीत पर गोली चलाई। अपने शपथ पर बयान में, जब उन्हें (PW9) को क्रॉस-परीक्षा के लिए वापस बुलाया गया, उन्होंने कहा कि तीन हमलावर थे और न्यायालय ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद गवाह सवालों का कोई खास जवाब नहीं दे रहा था। उन्होंने उस समय कहा था, कि अपीलकर्ता प्रकाश ने 3/4 शॉट दागे और बाद में कहा कि अपीलकर्ता प्रकाश ने अजीत पर अंधाधुंध गोलीबारी की और पांच शॉट्स ने उसे मारा।

(10) इसी तरह, करण सिंह PW10 ने कहा है, कि दो और मोटरसाइकिलें आ गई थीं, जो छह व्यक्तियों द्वारा सवारी की गई थीं उसने क्रॉस-परीक्षा में कहा है कि, अन्य आरोपी प्रकाश और रमेश ने कोई गोली नहीं चलाई। इसका मतलब यह है कि गोली सुरिंदर *उपनाम* काला जो की बरी कर दिया गया है उसने मारी थी। (PW10) ने आगे कहा है, कि वह नहीं बता सकते कि हमलावरों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार का प्रकार कैसा था। उसके बाद यह भी कहा**,** मृतक उसके असली चाचा का बेटा है, जिसका नाम धरम पाल है.

(11) अपीलकर्ता के लिए वकील ने आगे तर्क दिया है कि अभियोजन संस्करण, कि अपीलकर्ता प्रकाश अपराध स्थल पर था और वह था जिसने अजित पर गोलीबारी की, वह चाव पक्ष के गवाहों के बयान सुनने के बाद बिलकुल बेकार साबित हुआ। मनोज कुमार डी. डब्लुए 1 जेल वार्डर, देवबंद जेल, जिला सहारनपुर (U.P.) ने कहा है कि 12 मार्च को, 2000 प्रकाश, उजाला के बेटे को S.D.M., देवबंद

का आदेश के कारण उप-जेल में पीछा करने के लिए बंद किया गया था। उसे धारा 151/107/116 सी. आर. पी. सी. के तहत पुलिस स्टेशन, रामपुर द्वारा बुक किया गया था। उस का उत्पादन 23 मार्च, 2000 को एस.डी.एम. के सामने हुआ था और एस.डी.एम., देवबंद के आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा किया गया था। प्रकाश का नाम सीरीयल नम्बर ३२३ पर उल्लेख किया गया है। बचाव गवाह (DW1) ने स्पष्ट रूप से कहा है, कि अपीलकर्ता प्रकाश 12 मार्च, 2000 से 22 मार्च 2000 तक उप-जेल, देवबंद में बंद रहा। इसी तरह, जयदारथ, DW2, उप प्रभागीय न्यायाधीश के आपराधिक अहलमद-, देवबंद जिला सहमपुर ने कहा है, कि एस.डी.एम. सीरियल नंबर 194 पर, एक मामला धारा 107/116 सी. आर.पी.सी. पलीस थाना. रामपुर प्रकाश, उजाला सिंह का बेटा के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। मामले 12 मार्च, 2000 को शुरू किए गए थे और 29 अप्रैल, 2000 को तय किए गए थे। राम सिंह सागर DW3, डिप्टी जेलर ने कहा है कि 12 मार्च, 2000 को उन्हें बतौर उप-जेलर , उप-जेल, देवबंद, जिला सहारनपुर (यू.पी.) में पोस्ट किया गया था और उस समय प्रकाश जेल में था।

(12) राज्य के लिए अधिवक्ता ने तर्क दिया है, कि एफआईआर प्रदर्शनी पीएन / 1, जो 19 मार्च, 2000 को दोपहर 12.30 बजे समय से पंजीकृत किया गया था। अपीलकर्ता प्रकाश का नाम उल्लेख किया गया है, अपराध का हथियार उल्लेख किया गया है और चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति भी दी गई है। विशेष रिपोर्ट उसी दिन 3.30 बजे इलका मजिस्ट्रेट, पानिपट के पास पहुंची। हालांकि लाल चंद PW6 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, लेकिन प्रेम PW9 की गवाही और करण सिंह PW10 की गवाही विश्वास-पूर्ण प्रतीत होता है और उनका संस्करण सत्य है। बचाव पक्ष गवाह और रजिस्टर के अनुसार, जो वे स्पष्ट रूप से दिखा रहे है कि अपीलकर्ता ने खुद को देवबंद जेल में, जिला सहारनपुर (U.P.) में प्रस्तुत किया लेकिन वास्तव में 19 मार्च, 2000 तारीख को बाहर आ गया था और अजित की हत्या करने के बाद, फिर वापिस जेल चला गया।

(13) हमने पार्टियों के लिए अधिवकताओ को सुना है उनकी सहायता से अभिलेख का अवलोकन कर लिया है।

(14) लाल चंद, पी डब्ल्यू 6, प्रेम पी डब्ल्यू 9 और करण सिंह, पी डब्ल्यू 10, की गवाही, घटना स्थल के तीन गवाह की गवाही असंगत हैं। गवाहियों में भयावह विरोधाभास हैं, जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा समेटा नहीं जा सकता था। लाल चंद पी डब्ल्यू 6 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन उसकी गवाही को चकनाचूर करने के लिए कोई सार्थक जिरह नहीं की गई थी। प्रेम पी डब्ल्यू 9 ने कोर्ट में अपने परीक्षा-प्रमुख के

(14) बयान में कहा है, कि हमलावरों की कुल संख्या 5 या 6 थी। एफआईआर प्रदर्शनी पीएन/1, में केवल तीन हमलावरों के नाम यानी अपीलकर्ता प्रकाश और दो बरी किए गए अभियुक्त सुरिंदर *उपनाम* काला और दुर्जन का नाम दिया गया है। एफआईआर में, यह उल्लेख किया गया है कि हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए थे, लेकिन अगर वे संख्या में 5/6 थे, जैसा कि अदालत के सामने उनके बयान में उल्लेख किया गया है, तो वे एक मोटरसाइकिल पर नहीं आ सकते थे। जब एक और तारीख पर इस गवाह को जिरह के लिए वापस बुलाया गया, उन्होंने तब कहा, कि हमलावर थे। उसने अपना संस्करण फिर से बदल लिया। माननीय परीक्षण न्यायालय को यह टिप्पणि बनाने के लिए मजबूर किया गया था कि "न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद साक्षी प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दे रहा है"। ऐसा नहीं है कि यह टिप्पणिया माननीय परीक्षण न्यायालय ने एक ही बार बनाया हो, बल्कि जब कुछ देर बाद कुछ और सवाल फिर से उनके सामने रखे गए, तब माननीय परीक्षण न्यायालय ध्यान देने के लिए विवश हो गयी, कि गवाह सवालों के जवाब नहीं दे रहा है विशेष रूप से, बार-बार पूछे जाने के बावजूद। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है, कि यह गवाह सच्चाई को दबा रहा था।

(15) इसी तरह, एफआईआर के प्रस्तावक, करण सिंह पी डब्लू 10 ने अपने परीक्षा-प्रमुख में कहा है कि हमलावर संख्या में छह थे और वे दो मोटरसाइकिलों पर आए। यह गवाह का बयान एफआईआर प्रदर्शनी पीएन/1 यह है कि हमलावर, जो संख्या में तीन थे, अर्थात् अपीलकर्ता पार्कश, सुरिंदर और दुर्जन एक मोटरसाइकिल पर आए। इस गवाह ने स्वीकार किया, कि मृतक अजीत उनके असली चाचा का बेटा है। उन्होंने (पी डब्ल्यू 10) ने अपनी जिरह में कहा है कि, कि अन्य आरोपी, अर्थात्. प्रकाश और रमेश कोई गोली नहीं चलाई। इसका मतलब यह है कि शॉट्स को आरोपी सुरिंदर *उपनाम* काला द्वारा मारा गया था। जब उन्हें आगे की परीक्षा के लिए वापस बुलाया गया,

उन्होंने तब कहा, कि अपीलकर्ता प्रकाश एक रिवाल्वर पकड़े हुए थे और उन्होंने 2/3 शॉट्स गोलीबारी के अजित के ओर मारे। गवाहों के बयानों में विरोधाभास अर्थात. लाल चंद PW6 (शत्रुतापूर्ण घोषित), प्रेम PW9 और करण सिंह PW10 का सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल है। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के बजाय, मामले को उलझा दिया गया है।

(16) अपीलकर्ता पार्काश ने एक विशिष्ट दलील ली, कि घटना की तारीख पर, वह देवबंद जेल, जिला सहारनपुर (यू.पी.) में बंद थे।अपने मामले को साबित करने के लिए, वह गवाह बॉक्स मनोज कुमार, जेल वार्डर DW1, जयदारथ DW2, उप प्रभागीय न्यायाधीश देवबंद के आपराधिक अहलमद को लाया गया, राम सिंह सागर DW4, उप जेलर यांगपाल कांस्टेबल ऑफ पुलिस स्टेशन रामपुर

DW4 और चतर सिंह, उप-निरीक्षक सेवानिवृत्त) D W5 जो उस समय अवर निरीक्षक बतौर -पुलिस स्टेशन, रामपुर, जिला सहारनपुर (U.P.) में तैनात थे।

(17) मनोज कुमार डीडब्ल्यू 1 ने कहा है, कि 12 मार्च, 2000 को प्रकाश, उजाला के पुत्र निवासी गांव बोधवाला, पुलिस स्टेशन सदर, जींद (हरियाणा) उप प्रभागीय न्यायाधीश, देवबंद के आदेश के अनुसरण में जेल में बंद थे। वे (अपीलकर्ता पार्कश और रमेश) को उप प्रभागीय न्यायाधीश, देवबंद के सामने 23 मार्च, 2000 पेश किया गया था। अपीलकर्ता प्रकाश का जेल में होने से समबन्धित प्रविष्टि रजिस्टर में सीरीयल नम्बर ३२३ पर किया गया था। उसकी पत्नियों और बच्चों का नाम भी दिया गया। उसके अंगूठे के निशान जेल में प्रवेश करने के समय और उस की रिहाई के समय भी प्राप्त किए गए थे। अपीलकर्ता प्रकाश 12 मार्च, 2000 से 22 मार्च, 2000 तक उप-जेल, देवबंद में बंद रहा.

(18) इसी तरह, जयदारथ, उप प्रभागीय न्यायाधीश देवबंद, सहारनपुर के आपराधिक अहलमद, ने कहा है कि धारा 107/116 Cr के तहत एक मामला पुलिस थाना रामपुर, जिला सहारनपुर में दायर किया गया था। अपीलकर्ता प्रकाश का नाम सीरीयल नम्बर 194 पर मौजूद था। आदेश प्रदर्शनी डी. ई. के अनुसार, मामला 12 मार्च, 2000 को दायर किया गया था और 29 अप्रैल 2000, को इसका फैसला किया गया था।

(19) इसी तरह, राम सिंह सागर, डिप्टी जेलर DW3, अब पोस्ट किया गया किशोर सदन में, बरेली ने कहा है कि वह उप-जेल, देवबंद, जिला सहारनपुर (यू.पी.) में डिप्टी जेलर में तैनात थे. अपीलकर्ता पार्काश पुत्र गांव बोहतवाला के निवासी उज्जाला सिंह, पुलिस स्टेशन सदर जिंद को उप-जेल में रखा गया था. अपीलकर्ता पार्काश से संबंधित प्रविष्टि थी रजिस्टर नं. 12. अपीलकर्ता पार्कश को जेल से रिहा कर दिया गया 22 मार्च, 2000 को. वह 12 मार्च, 2000 से जेल में रहे 22 मार्च, 2000.

(20) यांगपाल कांस्टेबल DW4 ने कहा है कि वह पुलिस स्टेशन, रामपुर का दैनिक डायरी रजिस्टर लाया है अवधि 2 मार्च, 2000 से 12 मार्च, 2000 तक। अवर निरीक्षक गरीश चंदर त्यागी साथ में हेड कांस्टेबल वीर सिंह अपीलकर्ता प्रकाश, उज्जाला सिंह का बेटा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे। प्रविष्टि की प्रति प्रदर्शनी डी. एफ. है।

(21) छत्तर सिंह, उप-निरीक्षक (सेवानिवृत्त) DW5 ने कहा है, कि 12 मार्च, 2000 को अपीलकर्ता प्रकाश का उत्पादन उनके सामने किया गया था और उसे हिरासत में लिया गया था। प्रविष्टि रोजनामचस में किया गया था, जो प्रदर्शनी डी. एफ. है।

(22) बचाव साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपराध करने की घटना के दिन अपीलकर्ता प्रकाश उप-जेल देवबंद, जिला सहारनपुर (U.P.) में बंद था। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता की ओर से साजिश रची जाने का मामला नहीं बनाया है, लेकिन इसका मामला बनाया है कि वह अपराध स्थल पर उपस्थित था और अपराध के कृत्य में भी शामिल था। अभियोजन पक्ष द्वारा निर्मित चश्मदीद गवाह ने कहा है कि अपीलकर्ता अपराध स्थल पर 19 वीं मार्च, 2000 को मौजूद था। इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अजीत को खत्म करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। न अभियोजन पक्ष ने इस बात को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया, न ही उन्होंने साजिश के इस दृष्टिकोण को बाहर लाने के लिए अदालत के सामने कोई सबूत प्रस्तुत किया।

(23) माननीय ट्रायल कोर्ट, ने अपने 8 अगस्त 2000, ॥ अगस्त, 2000, 12 अगस्त, 2000, 24 अगस्त, 2000 और 20 वीं फरवरी, 2003 ने अपने ज़िमनी आदेशों में, बहुत सावधानी से जेल रिकॉर्ड को जमानत देने के समय पढ़ा है।

(24) उपरोक्त टिप्पणियों और चर्चाओं के साथ, हमें इस निष्कर्ष पर आने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल हो गया है।अपीलकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करा जाता है।

(25) अपील की अनुमति है। उसकी दोषसिद्धि और सजा अलग रखी गई है। यदि हिरासत में है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए यदि वह किसी और मामले में ना चाहिए हो तो।

आर.एन. आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा